<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072022-237348 CG-DL-E-18072022-237348

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

No. 363]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944 NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

# भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

# भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति)

(तृतीय संशोधन) विनियम, 2022

(2022 का संख्या 5)

सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2022 का संख्या 5).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), यथा संशोधित, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का संख्या 14) की धारा 54 की उप-धारा (1) तथा धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (X), के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 का 1) को संशोधित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:—

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —

(1) इन विनियम को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का 5) कहा जाएगा।

4744 GI/2022 (1)

- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 की अनुसूची में संशोधन:—
  - (क) सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी उप सचिव स्तर) [अब, सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी)] के पद के समक्ष, श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जानी है, कॉलम के तहत, शीर्षक "प्रतिनियुक्ति द्वारा" के अंतर्गत, प्रविष्टि "कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में" हटा दिया जाएगा।
  - (ख) सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी) पद के समक्ष, भर्ती की पद्धित और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत कॉलम के तहत, "1. 50 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 2. शेष सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नित/संविदा" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./184/2022-23]

## टिप्पणी:

- मुख्य विनियम यथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में दिनांक 21 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 का संख्या 01) के माध्यम से प्रकाशित किया गया।
- ii. मुख्य विनियम का प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में दिनांक 27 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2021 का संख्या 03) के माध्यम से प्रकाशित किया गया।
- iii. मुख्य विनियम का द्वितीय संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में दिनांक 21 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2022 का संख्या 03) के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

# UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2022

**Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees)** 

(Third Amendment) Regulation, 2022

(No. 5 of 2022)

No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 5 of 2022).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 read with sub-section (1) of section 54 and clause (x) of sub-section (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), as amended vide the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (14 of 2019), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulation further to amend the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020 (No. 1 of 2020) namely:—

#### 1. Short title and commencement-

- (1) This regulation may be called the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) (Third Amendment) Regulations, 2022 (No. 5 of 2022).
  - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment in Schedule to the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020-

- (a) Against the post of Assistant Director General (Technology DS Level)[now, Assistant Director General(Technology)], under the column of Grade from which promotion/ deputation is to be made, under heading "By Deputation", the entry "in computer sciences, information technology or electronics" shall be deleted.
- (b) Against the post of Assistant Director (Technology), under the column of Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods, the entry "1. 50% by promotion failing which by deputation and 2. Remaining by direct recruitment failing which by deputation" shall be substituted with "Deputation/Promotion/Contract."

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./184/2022-23]

#### Note:

- i. The principal regulations i.e Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations,2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No 1 of 2020) dated 21<sup>st</sup> January, 2020.
- ii. First Amendment of the principal regulations was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No 3 of 2021) dated 27<sup>th</sup> December, 2021.
- iii. Second Amendment of the principal regulations was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No 3 of 2022) dated 21<sup>st</sup> March, 2022.